संख्या-79/2022/372ई/23-11-2022-1/2(129)/2020

प्रेषक,

राजेश कुमार पाण्डेय,
अनुसचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0,लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 लखनऊ: दिनांक: 13 मई, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश के अन्तर्राज्यीय/ अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पडने वाले मार्गों का निर्माण/चौडीकरण/सुदृढीकरण योजना के चालू कार्यों के लिए धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(मु0-1) , लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-67/सी0ई0-एच0क्यू01/आई0एस0सी0/2022-23 दिनांक 04.05.2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के अन्तर्राज्यीय/ अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पडने वाले मार्गों का निर्माण/चौडीकरण/सुदृढीकरण योजनान्तर्गत 02 चालू कार्यों पर अधोलिखित विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल रू0 608.97 लाख (छः करोड आठ लाख सत्तानवे हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 स0	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अब तक आवंटन	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	प्रा0ख0 मथुरा	जनपद मथुरा में कोसी शाहपुर चैडरस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (लम्बाई 18.50 किमी0)	1879.73	920.00	469.93
2	प्रा0ख0 मथुरा	जनपद मथुरा में सौंख बछगाव कोथरा मार्ग (अन्य जिला मार्ग) का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (लम्बाई 8.35 किमी0)	846.31	538.00	139.04
				योग:-	608.97

(1) प्रश्नगत चालू कार्यो हेतु आंवटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत ओदशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्यों हेतु आंवटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र/कार्य के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0 प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) उक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगी।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 6,08,97,000(रूपये छह करोड आठ लाख सत्तानवे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-058 लेखा शीर्षक 5054043371700 प्रदेश के अन्तर्राज्यीय/ अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पडने वाले मार्गों का निर्माण/चौडीकरण/सुदृढीकरण मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30 दिसंबर, 2021 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या:

5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक 29 मार्च 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधिनित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

संख्या-79/2022/372ई(1)/23-11-2022-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 शासन।
2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0 प्रयागराज।
3- महालेखाकार(लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0 प्रयागराज।
4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
5- मुख्य अभियन्ता (मु0-1)लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- वित्त व्यय (नियन्त्रण) अनु0-8/वित्त आय-व्ययक अनु0-1, उ0प्र0शासन।
9- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0 प्र0 शासन।
10- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
11- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0 प्र0 शासन।
12- नोडल अधिकारी(आनलाईन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 शासन।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।